**भारत सरकार**

**सूचना और प्रसारण मंत्रालय**

**लोक सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या *21**

**(दिनांक 27.11.2024 को उत्तर देने के लिए)**

**सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री पर रोक के लिए कानून**

***21. श्री अरुण गोविलः**

**क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से अश्लील और सेक्स संबंधी सामग्री के अवैध रूप से प्रसारण को रोकने के लिए वर्तमान में मौजूद तंत्र क्या है; और

(ख) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त कानून इन प्लेटफार्मों के दुरुपयोग को रोकने के लिए ज्यादा प्रभावी नहीं हैं, क्या सरकार का मौजूदा कानूनों को और अधिक सख्त बनाने का प्रस्ताव है?

**उत्तर**

**रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री**

**(श्री अश्विनी वैष्णव)**

(क) और (ख): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**<u>दिनांक 27.11.2024 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *21 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित विवरण</u>**

(क) और (ख): सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत 25 फरवरी, 2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (आईटी नियम, 2021) अधिसूचित किए हैं। इन नियमों में ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्मों) के प्रकाशकों के लिए आचार संहिता का प्रावधान हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रकाशक से अपेक्षित है कि वह ऐसी कोई भी सामग्री प्रसारित नहीं करे जो वर्तमान में लागू किसी भी कानून द्वारा निषिद्ध है और नियमों की अनुसूची में दिए गए सामान्य दिशा-निर्देशों के आधार पर सामग्री का आयु आधारित वर्गीकरण 5 श्रेणियों में करे। संहिता में यह भी प्रावधान है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए आयु के अनुसार अनुचित सामग्री को प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय करेगा।

मार्च, 2024 में, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(ख) के प्रावधानों के तहत अश्लील और अशिष्ट सामग्री के लिए 18 ओटीटी प्लेटफार्मों के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए इन्हें ब्लॉक किया है।

जहां तक यूट्यूब, फेसबुक आदि जैसे मध्यवर्ती प्लेटफार्मों पर सामग्री का संबंध है, आईटी नियम, 2021 ऐसे प्लेटफार्मों पर स्वयं उचित प्रयास करने और अपने कंप्यूटर संसाधन के उपयोगकर्ता को जानबूझकर और साभिप्राय ऐसी कोई भी जानकारी को होस्ट, डिस्प्ले, अपलोड, संशोधित, प्रकाशित, प्रसारित आदि नहीं करने का दायित्व डालता है, जो अश्लील, पोर्नोग्राफिक, पीडोफिलिक, शारीरिक गोपनीयता सहित, किसी अन्य की गोपनीयता का उल्लंघन हो, लिंग के आधार पर अपमानजनक या उत्पीड़न वाली हो, नस्लीय या जातीय रूप से आपत्तिजनक हो अथवा जो बच्चों के लिए हानिकारक हो।

****